अध्याय - 2

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय 2: वित्तीय प्रबंधन

राज्य में आयुष स्वास्थ्य अवसंरचना, आयुष स्वास्थ्य सेवाएँ और आयुष शिक्षा का वित्तपोषण राज्य बजट और भारत सरकार की सहायता से राष्ट्रीय आयुष मिशन (मिशन) के अंतर्गत किया जाता है (केन्द्रांश : 60 प्रतिशत, राज्यांश: 40 प्रतिशत)। स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाले चिकित्सालय और औषधालय भी रोगियों से उपयोगकर्ता शुल्क एकत्रित करते हैं।

2.1 राज्य बजट से प्राप्त निधियां

2.1.1 निधियों की प्राप्ति और उपभोग

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल (बजट मैनुअल) के प्रस्तर 25 में प्रावधान है कि बजट तैयार करने का उद्देश्य, वास्तविकता के यथासंभव निकटतम अनुमान प्राप्त करना होता है। बजट मैनुअल के पैराग्राफ 28 में भी उचित शुद्धता के साथ प्राक्कलन तैयार करने का प्रावधान है।

(क) वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अनुदान संख्या 33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेद), अनुदान संख्या 33 चिकित्सा विभाग (यूनानी) तथा अनुदान संख्या 34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) के राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान, व्यय एवं बचत का विवरण क्रमशः ***परिशिष्ट-2*** एवं ***3*** में दिया गया है, तथा **तालिका-1** में संक्षेपित किया गया है:

तालिका 1: वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी सेवाओं के अंतर्गत निधियों का प्रावधान, अवमुक्ति एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण:

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	प्रावधान			व्यय			बचत		
	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल	पूंजीगत	राजस्व	कुल
33 (आयुर्वेद)	330.99	5630.71	5961.70	276.56 (83.56%)	3902.58 (69.31%)	4179.14 (70.10%)	54.43 (16.44%)	1728.13 (30.69%)	1782.56 (29.90%)
33 (यूनानी)	59.23	684.15	743.38	33.17 (56.0%)	454.26 (66.40%)	487.43 (65.57%)	26.06 (44.0%)	229.88 (33.60%)	255.94 (34.43%)
34 (होम्योपैथी)	119.53	2598.26	2717.79	76.77 (64.22%)	1982.96 (76.32%)	2059.73 (75.79%)	42.76 (35.77%)	615.30 (23.68%)	658.06 (24.21%)
कुल	**509.75**	**8913.12**	**9422.87**	**386.50 (75.82 %)**	**6339.80 (71.13%)**	**6726.30 (71.38%)**	**123.25 (24.18%)**	**2573.31 (28.87%)**	**2696.56 (28.62%)**

(स्रोत: आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सेवाओं के निदेशालय)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अनुदान संख्या 33 (आयुर्वेद) के अंतर्गत प्रावधानित निधियों के 70.10 प्रतिशत, अनुदान संख्या 33 (यूनानी) के अंतर्गत प्रावधानित निधियों के 65.57 प्रतिशत तथा अनुदान संख्या 34 (होम्योपैथी) के अंतर्गत प्रावधानित निधियों के 75.79 प्रतिशत मात्र का उपभोग किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा अग्रेत्तर पाया गया कि:

- राजस्व शीर्ष के अंतर्गत आयुर्वेद सेवाओं, यूनानी सेवाओं तथा होम्योपैथी सेवाओं के प्रकरण में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अप्रयुक्त अवशेष धनराशियां क्रमशः 26.19 प्रतिशत एवं 38.08 प्रतिशत, 28.27 प्रतिशत एवं 38.64 प्रतिशत तथा 11.50 प्रतिशत एवं 28.59 के मध्य थीं ***(परिशिष्ट-2)***। निधियों के उपभोग न किए जाने/समर्पित किए जाने के कारणों में मुख्य रूप से पदों का रिक्त होना तथा नई नियुक्तियों का न होना, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, आवश्यक पदों का सृजन न होना, वास्तविक व्यय के पश्चात बचत, क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग प्राप्त न होने के कारण बचत तथा शासन द्वारा स्वीकृतियां[1] निर्गत न किए जाने के कारण बचतें सम्मिलित थीं।

- पूंजीगत शीर्ष के अंतर्गत, आयुर्वेद सेवाओं, यूनानी सेवाओं तथा होम्योपैथी सेवाओं के प्रकरण में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अप्रयुक्त निधियां क्रमशः 0 प्रतिशत तथा 62.39 प्रतिशत, 21.36 प्रतिशत तथा 69.88 प्रतिशत; एवं 0.06 प्रतिशत तथा 68.79 प्रतिशत के मध्य थीं ***(परिशिष्ट-3)***। निधियों के उपभोग न किए जाने/समर्पित किए जाने के कारणों में मुख्य रूप से वास्तविक व्यय के पश्चात बचत, क्षेत्रीय कार्यालयों से मांग प्राप्त न होने के कारण बचत तथा शासन द्वारा स्वीकृतियां निर्गत न किए जाने के कारण बचतें सम्मिलित थीं।

(ख) शासन ने आयुष विभाग को अनुदान संख्या 83 (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना) के अंतर्गत भी धनराशियां उपलब्ध करायी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

---

[1] शासन द्वारा स्वीकृतियां निर्गत न करने में मिशन हेतु वर्ष 2019-20 के लिए चिकित्सा विभाग (आयुर्वेद) के अनुदान संख्या 33 के अंतर्गत ₹ 125.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान के सापेक्ष ₹ 28.61 करोड़ अवमुक्त न करना; तथा मिशन हेतु वर्ष 2019-20, 2020-21 तथा 2022-23 के लिए चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी) के अनुदान संख्या 34 के अंतर्गत ₹ 40.00 करोड़, ₹ 40.00 करोड़ तथा ₹ 70.00 करोड़ के बजटीय प्रावधान के सापेक्ष ₹ 29.35 करोड़, ₹ 1.28 करोड़ तथा ₹ 35.32 करोड़ अवमुक्त न करना सम्मिलित है। वर्ष 2018-19 के लिए मिशन के राज्यांश हेतु बजट आवंटन ₹ 40.00 करोड़ के सापेक्ष ₹ 4.35 करोड़ की बचत भी हुई, क्योंकि शासन द्वारा इसे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस (31 मार्च 2019) स्वीकृत किया गया था; तथा राजकोष ने सायं 5.00 बजे के पश्चात प्रस्तुत बिल को स्वीकार नहीं किया।

- राजस्व शीर्ष के अंतर्गत, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय हेतु 2018-19 से 2022-23 की अवधि में बजट में किए गए ₹ 33.74 करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष, ₹ 28.44 करोड़ (84.29 प्रतिशत) का व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.30 करोड़ का समर्पण हुआ। निधियों के समर्पण का कारण मांग की प्राप्ति न होना और वास्तविक व्यय के पश्चात बचत होना था।

- पूंजीगत शीर्ष के अन्तर्गत, आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु, वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में बजट में किये गये ₹ 2.52 करोड़[2] के प्रावधान के सापेक्ष ₹ 0.22 करोड़ (वर्ष 2020-21) का व्यय हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹ 2.30 करोड़ (91.27 प्रतिशत) का समर्पण हुआ। धनराशि का उपभोग न किये जाने/समर्पित किये जाने के कारण, मांग प्राप्त न होना तथा शासन द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत न किया जाना थे। इसी प्रकार, होम्योपैथी चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2019-20 से 2022-23 की अवधि में बजट में किये गये ₹ 23.45[3] करोड़ के प्रावधान के सापेक्ष ₹ 20.52 करोड़ का व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप ₹ 2.93 करोड़[4] (12.49 प्रतिशत) का समर्पण हुआ। निधियों के उपभोग न किये जाने/समर्पण किये जाने के कारण शासन द्वारा स्वीकृतियां निर्गत न करना और वास्तविक व्यय के पश्चात बचत थे। परिणामतः आयुष देख-रेख सुविधाओं का सृजन नहीं हो सका।

अनुदान संख्या 33 और 34 के सम्बन्ध में शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रत्याशा में बजट प्राक्कलनों में प्रावधान किए गए थे, निधियों की अप्रयुक्त अवशेष धनराशियों को समर्पित किया गया था और शासन को कोई हानि नहीं हुई थी। यद्यपि, शासन ने अनुदान संख्या 83 के अंतर्गत प्राप्त निधियों के उपभोग न किये जाने के सम्बंध में कोई उत्तर नहीं दिया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बजट में वृद्धिगत प्रावधान किए गए थे और अप्रयुक्त अवशेष धनराशियों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में समर्पित किया गया था, जैसा कि पैराग्राफ 2.1.2 में चर्चा की गई है, जिसके परिणामस्वरूप इनका पुनः आवंटन नहीं किया जा सका।

---

[2] वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 की अवधि में क्रमशः ₹ 0.10 लाख, ₹ 81 लाख, ₹ 81 लाख, ₹ 45 लाख तथा ₹ 45 लाख।

[3] वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि में क्रमशः ₹ 932.42 लाख, ₹ 947.74 लाख, ₹ 374.65 लाख, ₹ 60.00 लाख और ₹ 30.01 लाख (कुल: ₹ 2344.82 लाख)

[4] वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 की अवधि में क्रमशः ₹ 0.01 लाख, ₹ 113.18 लाख, ₹ 89.78 लाख, ₹ 60.00 लाख और ₹ 30.01 लाख।

2.1.2 निधियों के समर्पण में विलम्ब

बजट मैनुअल के पैराग्राफ 141 में प्रावधान है कि सभी अंतिम बचत 25 मार्च तक वित्त विभाग को समर्पित कर दी जानी चाहिए ताकि उन्हें पुनर्विनियोजन या अनुपूरक अनुदान के माध्यम से पुनः आवंटित किया जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आयुर्वेद सेवाएं, यूनानी सेवाएं और होम्योपैथी सेवाएं के निदेशालयों द्वारा 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अनुदान संख्या 33 (आयुर्वेद), 33 (यूनानी) और 34 (होम्योपैथी) के पूंजीगत और राजस्व शीर्षों के अंतर्गत कुल बचत क्रमशः ₹ 1782.56 करोड़, ₹ 255.94 करोड़ और ₹ 658.06 करोड़ को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में समर्पित किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि आयुर्वेद सेवाएं और होम्योपैथी सेवाएं के निदेशालयों ने 2018-19 से 2022-23 की अवधि में अनुदान संख्या 83 की क्रमशः ₹ 20.90 करोड़ (राजस्व : ₹ 18.60 करोड़, पूंजीगत : ₹ 2.30 करोड़) और ₹ 8.23 करोड़ (राजस्व : ₹ 5.30 करोड़, पूंजीगत : ₹ 2.93 करोड़) की बचतें वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में समर्पित कीं।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि धनराशियों के समर्पण में विलम्ब के कारण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में धनराशि की स्वीकृति और जनपदों से समर्पण हेतु सूचना की विलम्ब से प्राप्ति थी।

2.1.3 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में निधि के अवमुक्त होने से छात्रावास-भवन का विलम्ब से पूर्ण होना।

सामान्य वित्तीय नियम के नियम 62 (3) के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की आतुरता को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाता है।

उत्तर प्रदेश शासन ने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुजफ्फर नगर में 50 बिस्तरों वाले छात्रावास के निर्माण हेतु ₹ 3.41 करोड़ की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2019)। उत्तर प्रदेश शासन ने दिनांक 17.03.2021 को ₹ 1.54 करोड़ की दूसरी किस्त अवमुक्त की, जिसे निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं ने दिनांक 19.03.2021 को प्रधानाचार्य को अवमुक्त किया। प्रधानाचार्य ने कार्यदायी संस्था को दिनांक 30.03.2021 अर्थात वित्तीय वर्ष के अंतिम दूसरे दिवस को उक्त किस्त अवमुक्त की। भारतीय रिजर्व बैंक और कोषागार के मध्य कुछ तकनीकी समस्या के

कारण, धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित नहीं हो सकी जिससे कार्य बाधित हुआ। इसके पश्चात, उत्तर प्रदेश शासन ने अगस्त 2023 में ₹ 1.71 करोड़ की दूसरी किस्त अवमुक्त की और कार्य दिसंबर 2024 में विलम्ब से पूर्ण हुआ।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि प्रधानाचार्य द्वारा दिनांक 27.03.2021 को बजट-पत्र निर्गत किया गया था, जिसे दिनांक 30.03.2021 को कोषागार में जमा किया गया था; तथा भारतीय रिजर्व बैंक और कोषागार के मध्य कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण, कार्यदायी संस्था को धनराशि हस्तांतरित नहीं की जा सकी। उत्तर वित्तीय वर्ष के अंत में धनराशि अवमुक्त करने और परिणामस्वरूप परियोजना में विलम्ब होने के प्रकरण को संबोधित नहीं करता है।

2.1.4 निधियों का अवरोधन

बजट मैनुअल के अध्याय XV, प्रस्तर 174 में प्रावधान है कि वित्तीय अनियमितता निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अन्य के अंतर्गत आती है, जिसका उप पैराग्राफ 4(10), अन्य बातों के साथ-साथ, तत्काल आवश्यकता न होने पर भी कोषागार से धन के आहरण को इसमें सम्मिलित करता है।

उत्तर प्रदेश शासन ने अतर्रा, बांदा में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय भवन के निर्माण हेतु ₹ 29.67 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (नवंबर 2010); तथा निर्माण और अभिकल्प सेवाएं, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ को उक्त कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया (अगस्त 2010)। प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की शर्तों के अनुसार कार्य को 15 माह में पूर्ण किया जाना था और कार्य की लागत में कोई संशोधन स्वीकार्य नहीं होना था।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2023) कि प्रधानाचार्य ने पूर्व में अवमुक्त किए गए धन का उपभोग सुनिश्चित किए बिना जनवरी 2011 से फरवरी 2023 में 7 किस्तों[5] में कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की। कार्यदायी संस्था ने

[5] पहली किस्त (20.01.2011): ₹ 5.93 करोड़; दूसरी किस्त (04.08.2011): ₹ 5.84 करोड़; तीसरी किस्त (02.02.2013): ₹ 5.00 करोड़; चौथी किस्त (03.03.2014): ₹ 5.00 करोड़; पांचवीं किस्त (31.03.2016): ₹ 5.00 करोड़; छठी किस्त (23.02.2021): ₹ 1.42 करोड़; सातवीं किस्त (06.02.2023): ₹ 2.00 करोड़।

बचत बैंक खाते में धनराशि जमा[6] की, जिसकी जनवरी 2011 से मार्च 2021 में न्यूनतम मासिक अवशेष धनराशि ₹ 90,49,152 और ₹ 11,39,46,864 (औसत ₹ 5,14,69,487 प्रति माह) के मध्य थी, जैसा कि ***परिशिष्ट-4*** में विस्तार से दिया गया है, और ₹ 2.04 करोड़[7] का ब्याज अर्जित किया, जो दर्शाता है कि धनराशियां बिना आवश्यकता के ही कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित कर दी गई थीं। उत्तर प्रदेश शासन ने उक्त कार्य हेतु ₹ 35.37 करोड़ के संशोधित आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (फरवरी 2023)। तथापि, पूर्ण होने की लक्षित तिथि से 14 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी कार्य अपूर्ण था (अगस्त 2023)।

शासन ने बताया (जनवरी और फरवरी 2025) कि अवमुक्त की गई पूर्ववर्ती किस्त के उपभोग के उपरांत धनराशियां अवमुक्त की गई थीं और कार्यदायी संस्था (निर्माण और अभिकल्प सेवाएं) उत्तर प्रदेश शासन का एक उपक्रम है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यदायी संस्था ने धनराशि को बैंक खाते में अवरुद्ध रखा और पूर्ण होने की लक्षित तिथि से 14 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी कार्य अपूर्ण थे।

2.2 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निधि प्रबंधन

2.2.1 राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति और उपभोग

भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय आयुष मिशन के कार्यान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश शासन को निधि प्रदान की। प्रतिवेदन के अधीन आच्छादित अवधि के दौरान, योजना के अंतर्गत केन्द्रांश और राज्यांश का अनुपात 60:40 था। अनुमोदित राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार, केन्द्रांश को राजकोष के माध्यम से राज्य आयुष सोसायटी को हस्तांतरित किया जाता है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में मांग की गयी, स्वीकृत की गयी, प्राप्त की गयी और उपभोग की गयी निधि की वर्षवार स्थिति **तालिका-2** में विस्तृत रूप से दी गयी है:

---

[6] ₹ 5.84 करोड़, ₹ 5.00 करोड़, ₹ 5.00 करोड़ और ₹ 5.00 करोड़; दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं किस्तों (जुलाई 2020 में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के पश्चात, फरवरी 2021 और फरवरी 2023 में अवमुक्त ₹ 1.41 करोड़ और ₹ 2.00 करोड़ की छठी और सातवीं किस्त जल निगम के मुख्यालय को हस्तांतरित की गई) को जमा करते समय, परियोजना हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा में खोले गए (जनवरी 2011) बचत बैंक खाते (ग्राहक खाता आई डी संख्या 24920100007641) में क्रमशः ₹ 1.10 करोड़, ₹ 2.80 करोड़, ₹ 4.97 करोड़ और ₹ 6.43 करोड़ अवशेष थे।

[7] इसमें अप्रैल 2021 से मार्च 2023 की अवधि में बैंक के बचत खाते में पड़ी अवशेष धनराशि पर अर्जित ₹ 2.35 लाख का ब्याज भी सम्मिलित है।

तालिका 2: वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में मिशन के अंतर्गत मांग की गयी, स्वीकृत की गयी, प्राप्त की गयी और उपभोग की गयी निधियों की वर्षवार स्थिति को प्रदर्शित करने वाला विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष					योग
	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	
राज्य वार्षिक कार्य योजना के अनुसार मांग						
केन्द्रांश	164.45	125.46	140.54	348.12	508.00	1286.57
राज्यांश	109.64	83.64	93.70	232.08	338.66	857.72
कुल	**274.09**	**209.10**	**234.24**	**580.20**	**846.66**	**2144.29**
मिशन द्वारा अनुमोदित व्यय						
केन्द्रांश	120.49	79.92	103.21	235.95	288.75	828.32
राज्यांश	80.33	53.28	68.80	157.30	192.50	552.21
कुल	**200.82**	**133.20**	**172.01**	**393.25**	**481.25**	**1380.53**
अवमुक्त						
केन्द्रांश	120.49	79.92	103.21	138.10	144.37	586.09
राज्यांश	80.33	53.28	68.80	92.06	48.13	342.60
कुल	**200.82**	**133.20**	**172.01**	**230.16**	**192.50**	**928.69**
व्यय						
केन्द्रांश	120.44	77.56	94.84	117.92	80.66	491.42
राज्यांश	72.73	32.15	55.36	75.32	38.10	273.16
कुल (अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय का प्रतिशत)	**193.17 (96.19 %)**	**109.71 (82.36 %)**	**150.20 (87.32%)**	**193.24 (83.96%)**	**118.76 (61.69%)**	**765.08 (82.38%)**
अव्ययित शेष						
केन्द्रांश	0.05	2.36	8.36	20.18	63.71	94.66
राज्यांश	7.59	21.13	13.44	16.74	10.03	68.94
कुल	**7.64**	**23.49**	**21.81**	**36.92**	**73.74**	**163.60**

(स्रोत: राज्य आयुष सोसायटी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- 2018-19 से 2022-23 की अवधि हेतु राज्य वार्षिक कार्य योजना में कुल ₹ 2144.29 करोड़ की मांग के सापेक्ष, भारत सरकार ने ₹ 1380.53 करोड़ के कुल परिव्यय की स्वीकृति दी, जो कि मांग का मात्र 64.38 प्रतिशत था।
- 2018-19 से 2022-23 की अवधि हेतु ₹ 1380.53 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 828.32 करोड़, राज्यांश: ₹ 552.21 करोड़) के अनुमोदित परिव्यय के

सापेक्ष, अवमुक्त की गई धनराशि ₹ 928.69 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 586.09 करोड़, राज्यांश: ₹ 342.60 करोड़) थी, जो अनुमोदित परिव्यय का 67.27 प्रतिशत थी। अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष, राज्य आयुष सोसायटी ने कुल ₹ 765.08 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 491.42 करोड़, राज्यांश: ₹ 273.16 करोड़) व्यय किए, जिससे ₹ 163.60 करोड़ (केन्द्रांश: ₹ 94.66 करोड़, राज्यांश: ₹ 68.94 करोड़) की धनराशि अवशेष रह गयी।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि भारत सरकार, राज्य आयुष सोसायटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के परीक्षणोपरांत राज्य वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान करता है। तथ्य यह है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत स्वीकृत और अवमुक्त की गयी निधि का उपभोग करने में राज्य आयुष सोसायटी विफल रही।

2.2.2 राष्ट्रीय आयुष मिशन निधियों की पार्किंग

मिशन के अंतर्गत निधियों को, संबंधित वर्षों हेतु राज्य वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित, अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मिशन के अंतर्गत अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु हस्तांतरित निधियों को बैंक खातों में पार्क किया गया था, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- राज्य आयुष सोसायटी ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि में निदेशक, आयुर्वेद सेवायें को ₹ 12.89 करोड़ की निधि हस्तांतरित की। तथापि, निदेशक ने ₹ 8.20 करोड़ की निधि का उपभोग किया जबकि ₹ 4.68 करोड़ की निधि को अपने खाते में पार्क कर दिया, जैसा कि ***परिशिष्ट-5*** में विस्तार पूर्वक दिया गया है। राज्य आयुष सोसायटी के निर्देश (सितंबर 2021) पर, पार्क की गई निधियों को भारत सरकार के निर्देशों[8] (मार्च 2021) के अंतर्गत खोले गए एकल नोडल खाते में स्थानांतरित कर दिया गया (सितंबर 2021)। राज्य आयुष सोसायटी ने 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु स्वीकृत

[8] उत्तर प्रदेश शासन ने बैंक ऑफ बड़ौदा, गोमती नगर, लखनऊ में एकल नोडल खाता खोलने हेतु राज्य आयुष सोसायटी को अधिकृत किया (अगस्त 2021)। अपर मुख्य सचिव ने जिला आयुष सोसायटी को मिशन निधियों की अवशेष धनराशियों को एकल नोडल खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया (सितंबर 2021)।

पांच गतिविधियों हेतु निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ को ₹ 1.76 करोड़[9] की नई सीमा निर्गत कर दी (दिसंबर 2021)।

- राज्य आयुष सोसायटी ने 2015-18 की अवधि में निदेशक, होम्योपैथी सेवायें को उनके अधीन औषधालयों हेतु उपकरण/औजारों की खरीद के लिए कुल ₹ 8 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित[10] की, जिसे संबंधित जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिया गया (मई 2018), जबकि ₹ 53.29 लाख की धनराशि अवशेष रह गयी। राज्य आयुष सोसायटी के निर्देश पर, ₹ 53.29 लाख की अवशेष धनराशि एकल नोडल खाते में हस्तांतरित कर दी गई (अक्टूबर 2021)। राज्य आयुष सोसायटी ने ₹ 53.30 लाख की सम्पूर्ण निधि हेतु नई सीमा निर्गत कर दी (दिसंबर 2021)।

- 75 में से 69 जिलों की ज़िला आयुष समितियों द्वारा मिशन से सम्बंधित वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि की योग वेलनेस सेंटर, मोबिलिटी सपोर्ट, सूचना, शिक्षा और संचार, योग दिवस, होम्योपैथिक चिकित्सा, स्वच्छता कार्य योजना[11], पब्लिक हेल्थ आउटरीच, आयुष ग्राम, प्रयोगशाला परीक्षण शुल्क, उपकरणों के क्रय आदि से संबंधित बैंकों में रखी गयी कुल ₹ 17.53 करोड़ (ब्याज सहित) की धनराशियां वापस कर दी गयी (सितम्बर 2021 से जून 2022 तक), जैसाकि ***परिशिष्ट-6*** में विस्तार पूर्वक दिया गया है। नमूना जाँच किये गए जनपदों की लेखापरीक्षा में भी उपरोक्त गतिविधियों और अवधि से संबंधित ₹ 2.40 करोड़ की धनराशि का पार्क किया जाना ज्ञात हुआ। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा निधियों को व्यय करने हेतु राज्य आयुष सोसायटी से प्राप्त निर्देशों में स्पष्टता की कमी को व्यय न किये जाने का मुख्य कारण बताया गया।

---

9 प्रयोगशाला में औषधि परीक्षण (डीटीएल) (2015-16): ₹ 1.11 करोड़, नमूना परीक्षण (2015-16): ₹ 0.65 लाख; डीटीएल (2016-17): ₹ 30.33 लाख; डीटीएल: ₹ 25 लाख और डीटीएल (2019-20): ₹ 9 लाख (कुल 176.34 लाख)।

10 वर्ष 2015-16 की अवधि में गाजीपुर और पीलीभीत के जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी को हस्तांतरित क्रमशः ₹ 12.23 लाख और ₹ 36.67 लाख की सम्पूर्ण धनराशि बिना उपयोग के वापस कर दी गई (अक्टूबर 2023)। वर्ष 2015-16 की अवधि में जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, मेरठ को हस्तांतरित ₹ 6.11 लाख में से ₹ 4.39 लाख की धनराशि बिना उपयोग के वापस कर दी गयी।

11 क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, प्रयागराज ने धन की उपलब्धता के बिना स्वच्छता कार्य योजना पर ₹ 1.17 लाख व्यय किए।

शासन ने धनराशि को पार्क करने की बात स्वीकार की (जनवरी 2025) तथा इसके लिए विभिन्न कारण[12] बताए।

2.2.3 उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना

मिशन दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 7.5 में अनावर्ती अनुदानों के वास्तविक उपभोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान है। इसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संबंध में अनंतिम उपभोग का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही आगामी वर्षों में आवर्ती सहायता अनुदान अवमुक्त करने; और पूर्ववर्ती वर्ष में अवमुक्त सहायता अनुदान से संबंधित उपभोग का प्रमाण-पत्र और लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के उपरांत ही आगामी वर्ष हेतु स्वीकृत कुल धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक सहायता अनुदान अवमुक्त करने का प्रावधान है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में केन्द्रांश की धनराशि ₹ 583.99 करोड़ सहित ₹ 944.66 करोड़ के कुल व्यय[13] के सापेक्ष, राज्य आयुष सोसायटी ने मात्र ₹ 414.94 करोड़ (71.05 प्रतिशत) की धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया। प्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र के सापेक्ष मिशन निदेशालय ने मात्र ₹ 185.40 करोड़ (व्यय का 31.75 प्रतिशत तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण-पत्र का 44.68 प्रतिशत) की धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र स्वीकार किया।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि ₹ 597.15 करोड़ की धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजा गया है, जो कि कुल व्यय का 78 प्रतिशत है। यद्यपि, शासन द्वारा संपूर्ण व्यय हेतु उपभोग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न

---

[12] आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में मानव संसाधन हेतु निर्धारित ₹ 1.11 करोड़ (2015-16) में से ₹ 1.02 करोड़ की धनराशि शासन द्वारा अनुमोदन न मिलने के कारण उपयोग नहीं की जा सकी और राज्य आयुष सोसायटी को वापस कर दी गई, जिसे भारत सरकार को वापस कर दिया गया (अक्टूबर 2021), और शेष धनराशि ₹ 9.00 लाख हेतु अधीक्षक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ को प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु एक पत्र लिखा गया था (जनवरी 2024); प्रयोगशाला भवन के नवीनीकरण में ₹ 69.67 लाख (2016-17) का उपयोग किया गया है; उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित ₹ 30.33 लाख (2016-17) का उपयोग जनशक्ति की कमी के कारण नहीं किया जा सका, ₹ 0.64 लाख (2015-16) का उपयोग सार्वजनिक वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से धन हस्तांतरण की बाध्यता के कारण नहीं किया जा सका, ₹ 25 लाख (2018-19) और ₹ 9 लाख (2019-20) का उपयोग शासन स्तर पर डीटीएल हेतु मानव संसाधन के प्रस्ताव के लंबित रहने के कारण नहीं किया जा सका; और आशा/एएनएम प्रशिक्षण कार्यक्रम (2016-17) से संबंधित ₹ 2.22 करोड़ राज्य आयुष सोसायटी को वापस कर दिया गया (सितंबर 2021)।

[13] निदेशालयों और उनके अधीनस्थ प्रशासनिक कार्यालयों को हस्तांतरित धनराशि का इन कार्यालयों द्वारा पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया और उसे राज्य आयुष सोसायटी को वापस कर दिया गया (सितंबर 2021), जैसा कि प्रस्तर 2.2.2 में चर्चा की गई है।

किये जाने तथा भारत सरकार को प्रस्तुत किये गये उपभोग प्रमाण-पत्र के मात्र 55.15 प्रतिशत को स्वीकार किए जाने पर कोई टिप्पणी नहीं की गयी।

2.3 पंजीकरण/उपयोगकर्ता शुल्क का प्रबंधन

2.3.1 उपयोगकर्ता शुल्क की प्राप्ति और उपभोग

शासनादेश (फरवरी 2001) में आयुष औषधालयों/चिकित्सालयों के लाभार्थियों से निर्धारित दर पर उपयोगकर्ता शुल्क लिए जाने का प्रावधान था। एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क के 50 प्रतिशत को राजकीय आयुष चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों द्वारा अपने पास रोका जाना था, जबकि अन्य चिकित्सालयों और औषधालयों द्वारा एकत्र किए गए शुल्क को उनके संबंधित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी /जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी द्वारा रखा जाना था। रखे गए शुल्क को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जाना था और शेष 50 प्रतिशत धनराशि को शासन के खाते में जमा किया जाना था।

वर्ष 2018-19 से 2022-23 की अवधि में नमूना जाँच किए गए चिकित्सालयों और औषधालयों द्वारा एकत्र किए गए उपयोगकर्ता शुल्क, कोषागार और बैंकों में जमा किए गए उपयोगकर्ता शुल्क का विवरण ***परिशिष्ट-7*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- आयुष विभाग ने उपयोगकर्ता शुल्क को बैंक के बचत खाते में जमा करने हेतु कोई दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किए। प्रसंगवश, उत्तर प्रदेश शासन के वित्त विभाग ने (मई 2015) आदेश निर्गत किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शासकीय विभागों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बचत बैंक खाता खोलने का प्रावधान था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गए पांच राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों, आठ क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों, दो क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों और आठ जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों में से तीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों, तीन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों, एक क्षेत्रीय यूनानी अधिकारी और दो जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों ने चालू खाते में उपयोगकर्ता शुल्क को जमा किया था।
- क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों, क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों और राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा रोके गये उपयोगकर्ता शुल्क का उपभोग चिकित्सालयों/औषधालयों के रख-रखाव,

सफाई और रोगियों के कल्याण आदि में किया जाना था। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों/ क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों द्वारा रोके गए ₹ 71.78 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 39.52 लाख का उपभोग किया गया। इसी प्रकार, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालययों द्वारा रोके गए ₹ 42.63 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 1.97 लाख का उपभोग किया गया। इस प्रकार, ₹ 72.92 लाख (63.73 प्रतिशत) के उपयोगकर्ता शुल्क का उपभोग चिकित्सालयों के रख-रखाव और रोगियों के कल्याण हेतु नहीं किया गया।

- राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा और राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनऊ के प्रधानाचार्य, बांदा, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, प्रयागराज जनपदों के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों/ क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय मुरादाबाद एवं प्रयागराज के प्रधानाचार्यों और बांदा, मुरादाबाद, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, पीलीभीत, प्रयागराज जनपदों के जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों ने वर्ष 2018-19 और 2022-23 की अवधि में रोके गये ₹ 67.81 लाख के उपयोगकर्ता शुल्क में से कोई व्यय नहीं किया। इसके अतिरिक्त, प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत एवं पीलीभीत, लखनऊ और वाराणसी के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों/ क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों तथा वाराणसी के जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों ने उपलब्ध धनराशि का मात्र 36 प्रतिशत ही उपभोग किया। चयनित औषधालयों और चिकित्सालयों के संयुक्त भौतिक सत्यापन और उनके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना में भवन की खराब स्थिति (पैराग्राफ 3.4), अपर्याप्त स्वच्छता[14], बैठने की सुविधा, बिजली, बैठने के स्थान पर पंखे, पेयजल की सुविधा और दिव्यांगों हेतु रैंप तथा ड्रेसिंग सामग्री की अनुपलब्धता (पैराग्राफ 3.5) का पता चला। इस प्रकार, पंजीकरण शुल्क का उपभोग करके चिकित्सालयों और औषधालयों के रख-रखाव तथा स्वच्छता एवं रोगियों के कल्याण का उद्देश्य आंशिक रूप से प्राप्त हुआ।

[14] नमूना जाँच में सम्मिलित 70 औषधालयों और चिकित्सालयों में से 2 यूनानी और 1 आयुर्वेदिक चार शय्याओं वाले चिकित्सालय में सफ़ाई की स्थिति खराब थी। आठ चयनित जिलों में नमूना जाँच किये गए 25 आयुर्वेदिक, 19 यूनानी और 16 होम्योपैथिक औषधालयों और चिकित्सालयों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 12 आयुर्वेदिक (50 प्रतिशत), 11 यूनानी (58 प्रतिशत) और 13 होम्योपैथिक (81.25 प्रतिशत) औषधालयों/ चिकित्सालयों में ड्रेसिंग/प्राथमिक उपचार की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी।

शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में रखे गए उपयोगकर्ता शुल्क का उपभोग चिकित्सालयों की सफाई और रोगियों के कल्याण में किया जा रहा है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारियों/क्षेत्रीय यूनानी अधिकारियों/जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों तथा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं चिकित्सालयों के खातों में रोके गए उपयोगकर्ता शुल्क की पर्याप्त धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है। शासन ने उपयोगकर्ता शुल्क के चालू खातों में जमा किए जाने पर कोई उत्तर नहीं दिया है।

2.3.2 पंजीकरण/उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह में असमानता

उत्तर प्रदेश शासन ने आयुष चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों से एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों और चिकित्सालयों हेतु निर्धारित दरों पर उपयोगकर्ता शुल्क वसूल करने के निर्देश निर्गत किए (फरवरी 2001)। शासन ने रोगियों को निःशुल्क शय्या उपलब्ध कराने के निर्देश भी निर्गत किए (अगस्त 2003)। शासन ने, चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों को छोड़कर शेष रोगियों से ₹ 35 के भर्ती शुल्क की वसूली को समाप्त कर दिया (अगस्त 2012)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों में भर्ती रोगियों से उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली में कोई एकरूपता नहीं थी, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, मुरादाबाद में 2018-19 से 2022-23 की अवधि में कुल 7034 रोगी भर्ती हुए। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय ने इन रोगियों से ₹ 35 का भर्ती शुल्क नहीं वसूला, जो कुल ₹ 2.46 लाख था।
- अवशेष चार नमूना जांच किये गए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में से राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, बांदा ने 1461 रोगियों से ₹ 31 प्रति रोगी की दर से भर्ती शुल्क वसूल किया, जिसकी कुल धनराशि ₹ 0.45 लाख थी, जबकि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, पीलीभीत, राजकीय यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ और राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, प्रयागराज ने क्रमशः 7018 रोगियों, 2739 रोगियों और 6859 रोगियों से ₹ 35 प्रति रोगी की दर से भर्ती शुल्क वसूल किया, जिसकी कुल धनराशि ₹ 5.82 लाख थी।

आयुर्वेद और होम्योपैथी सेवाओं के संबंध में शासन ने बताया (जनवरी 2025) कि उपयोगकर्ता शुल्क की दरों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया है (जनवरी 2025); और होम्योपैथी सेवाओं द्वारा आयुष विभाग के अंतर्गत अन्य चिकित्सा पद्धतियों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। यूनानी सेवाओं के संबंध में, यह बताया गया कि शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाती है।

संक्षेप में, 2018-19 से 2022-23 की अवधि में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सेवाओं हेतु किए गए राजस्व व्यय हेतु क्रमशः ₹ 5630.71 करोड़, ₹ 684.15 करोड़ और ₹ 2598.26 करोड़ के बजटीय प्रावधानों के सापेक्ष, ₹ 1728.13 करोड़ (30.69 प्रतिशत), ₹ 229.88 करोड़ (33.60 प्रतिशत) और ₹ 615.30 करोड़ (23.68 प्रतिशत) की बचत हुई। इसी प्रकार, 2018-19 से 2022-23 की अवधि में आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी सेवाओं हेतु किए गए ₹ 330.99 करोड़, ₹ 59.23 करोड़ और ₹ 119.53 करोड़ के पूंजीगत व्यय के प्रावधानों के सापेक्ष ₹ 54.43 करोड़ (16.44 प्रतिशत), ₹ 26.06 करोड़ (44 प्रतिशत) और ₹ 42.76 करोड़ (35.77 प्रतिशत) की बचत हुई। निदेशालयों द्वारा बचत का 100 प्रतिशत वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस में समर्पित किया गया । राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 2018-19 से 2022-23 की अवधि में धन का उपभोग 61.69 प्रतिशत से 96.19 प्रतिशत के मध्य रहा। निदेशक, आयुर्वेद सेवाएं, निदेशक होम्योपैथी सेवाएं और सचिव, जिला आयुष समिति द्वारा अपने-अपने बैंक खातों में धनराशियाँ पार्क की गयी थीं। रोगियों से वसूल किये गये उपयोगकर्ता शुल्क का पूर्ण उपभोग चिकित्सालयों के रख-रखाव और रोगियों के कल्याण हेतु नहीं किया गया था।

अनुशंसा 1: निधियों की मांगों को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत प्राप्त निधियों का उपभोग अनुमोदित गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु करने का प्रयास किया जाना चाहिए। निधियों की पार्किंग से बचने के लिए समुचित उपाय किये जाने चाहिए।

अनुशंसा 2: शासन को आयुष चिकित्सालयों और औषधालयों के रोगियों से लिए जाने वाले उपयोगकर्ता शुल्क की वसूली में एकरूपता और उसके प्रबंधन हेतु आदेश निर्गत करने पर विचार करना चाहिए।